

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मोरीजा)

पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार योगी (R.A.S)

उनवान

1. रामविलास पुत्र श्री मुरली, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. हरफूल पुत्र रामजीलाल मीणा
  2. प्रकाश पुत्र रामजीलाल मीणा
  3. मुकेश कुमार मीणा पुत्र हरफूल मीणा
  4. दिनेश कुमार मीणा पुत्र हरफूल मीणा
- समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरीजा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 258 / 2012

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रा0 डिक्री दी जाती है कि वादी की मृत्यु होने से वादी का वाद अबेट होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प मोरीजा मे आज तारीख 16.05.2017 को जारी किया गया।

मोहर



अशोक कुमार योगी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	0	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	0	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

अशोक कुमार योगी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौमूं, जिला जयपुर